

कार्यालय, अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़, रायपुर

राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक-05/09/2017 का एजेण्डा
(समय-दोपहर 12.30 बजे, स्थान-महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर कक्ष-एस-1/3)

संक्र 0	आवेदन प्राप्ति दि०	आवेदक का नाम व पता	प्रस्तावित यात्री वाहन	मार्ग का नाम	प्रतिदिन फेरों की संख्या	प्रस्तावित समय-चक्र					
1	2	3	4	5	6	7					
माननीय न्यायालय द्वारा निराकरण हेतु प्राप्त प्रकरण											
नवीन स्थायी परमिटों हेतु प्राप्त आवेदन पत्र											
मार्ग-सिवान से जशपुर व्हाया पटना, हजारीबाग, रांची, रिक्ति-परमिट 02, फेरा 02											
1	08/12/2016	श्रीमती हेमवती देवी द्वारा- श्री रविन्द्र पाठक सरनाटोली सन्ना रोड जशपुर छ.ग.	सीजी-14-जी/0240 बै०क्ष०-36 डीलक्स, मॉडल-2016	सिवान से जशपुर एवं वापस नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु	एक एकल फेरा	जशपुर	गुमला	रांची	हजारीबाग	पटना	
						16.20 प्र.	18.20/18.35	20.50/21.05	22.30/22.40	08.00/08.10	
						09.20 आ.	07.25/07.20	05.25/05.10	03.10/03.00	21.00/20.45	
						सिवान	-	-	-	-	
						11.00 आ.	-	-	-	-	
						14.00 प्र.	-	-	-	-	
2	08/12/2016	श्रीमती हेमवती देवी द्वारा- श्री रविन्द्र पाठक सरनाटोली सन्ना रोड जशपुर छ.ग.	सीजी-14-जी/0239, बै०क्ष०-36 डीलक्स, मॉडल-2016	सिवान से जशपुर एवं वापस नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु	एक एकल फेरा	जशपुर	गुमला	रांची	हजारीबाग	पटना	
						16.20 प्र.	18.20/18.35	20.50/21.05	22.30/22.40	06.00/06.10	
						09.20 आ.	07.25/07.20	05.25/05.10	03.10/03.00	21.00/20.45	
						सिवान	-	-	-	-	
						11.00 आ.	-	-	-	-	
						14.00 प्र.	-	-	-	-	

कार्यालय सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़-रायपुर

क्रमांक- 3018 /एसटीए/टीसी/17,

रायपुर, दिनांक- 01/09-2017

पंजीकृत डाक से

प्रति,

श्रीमती हेमवती देवी
द्वारा- श्री रविन्द्र पाठक
सरनाटोली सन्ना रोड जशपुर छ.ग.

विषय:- राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ की बैठक दिनांक-05.09.2017 को नियत सुनवाई की सूचना।

संदर्भ:- मा0 राज्य परिवहन अर्पणलय अधिकरण, छ0ग0, रायपुर का अर्पण क्रमांक 53/2017 एवं 54/2017 में पारित आदेश दिनांक-19.07.2017 एवं आपका आवेदन-पत्र दिनांक-08.12.2016 ऑन-लाईन।

उक्त विषय में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन-पत्र नवीन स्थायी परमिट मार्ग- सिवान से जशपुर एवं वापस एक एकल फेरा के लिये प्राप्त आवेदन पत्र की सुनवाई राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक 05.09.2017 को दोपहर 12.30 बजे, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर कब-एस-1/3 में की जावेगी। सुनवाई हेतु नियत तिथि को परिवहन आयुक्त कार्या0, सी ब्लॉक, 3 फ्लोर, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होंगे। सुनवाई के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आपके स्वामित्व में फिटनेस यात्री वाहन है, तथा आपके पास फिटनेस वैध स्थायी एवं अस्थायी परमिट है। उसकी सूची, तथा धारा 86 का कोई प्रकरण लखित न होने का प्रमाण-पत्र, आवेदित वाहन का कर चुकता प्रमाण-पत्र, आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई देयकर शेष न होने का प्रमाण-पत्र।
2. आवेदक फर्म/संस्था है, तो पार्टनरशिप डीड अथवा अन्य मेमोरेण्डम सुनवाई के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. आपके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट यदि परिवहन कार्यालयों में जमा किये गये हों, अथवा न किये गये हों, तो सम्बंधित परिवहन अधिकारियों से जारी किये गए प्रमाण-पत्र।

अतः आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से बिन्दु क्रमांक-01 से 03 तक की जानकारी, एवं आवेदित वाहन के सम्बन्धित वैध कागजात जैसे पंजीयन पुस्तिका, बीमा प्रमाण-पत्र, एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। अन्यथा प्रकरण में एकतरफा विचार कर निर्णय लिया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहायक सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार, 11/9/2017

छत्तीसगढ़-रायपुर

रायपुर, दिनांक-01/09-2017

सू0 क्रमांक- 3019 /एसटीए/टीसी/17,

प्रतिलिपि:-

1. आपत्तिकर्ता श्री विनोद कुमार मिश्रा, पता-मिलन चौक, जशपुर नगर, छ0ग0।
2. आपत्तिकर्ता श्रीमती प्रियमवदा सिंह जूदेव, पता-विजय विहार, फार्म हाउस, जशपुर नगर, छ0ग0।
3. आपत्तिकर्ता श्रीमती बेला बुधिया, बुटी मोड़ रोड़ी, झारखण्ड।

आपके अभ्यावेदन के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आपत्ति के संबंध में उपरोक्त दिनांक एवं समय पर बैठक में पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित रहें।

सहायक सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार, 11/9/2017

छत्तीसगढ़-रायपुर

पंजीकृत डाक से-

कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, "सी" ब्लॉक, नया रायपुर, छ०ग०,

दूरभाष- 0771-2582088, 2582799

E-Mail ID - atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com, Web- www.cgtransport.org

क्रमांक- 30/7 /एसटीए/टीसी/17,

रायपुर, दिनांक-07/09-2017

पंजीकृत डाक से

प्रति,

श्री विनय कुमार गुप्ता,
आत्मज- स्व. के. पी. गुप्ता,
प्रेम कुंज, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट,
तपकरा जिला-जशपुरनगर छ.ग.

विषय- राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ की बैठक दिनांक-05.09.2017 को नियत सुनवाई की सुचना।

संदर्भ- मा0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WP(C) क्रमांक 1789/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 एवं आपका ऑन-लाईन आवेदन-पत्र दिनांक-11.04.2017.

--0--

उक्त विषय में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधित आवेदन-पत्र नवीन स्थायी परमिट मार्ग-कोरवा से बोकारो एवं वापस एक एकल फेरा के लिये प्राप्त आवेदन पत्र की सुनवाई राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक 05.09.2017 को दोपहर 12.30 बजे, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर कक्ष-एस-1/3 में की जावेगी। सुनवाई हेतु नियत तिथि को परिवहन आयुक्त कार्या0, सी ब्लॉक, 3 फ्लोर, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित हों। सुनवाई के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आपके स्वामित्व में कितनी यात्री वाहनें हैं, तथा आपके पास कितने वैध स्थायी एवं अस्थायी परमिट हैं। उसकी सूची, तथा धारा 86 का कोई प्रकरण लंबित न होने का प्रमाण-पत्र, आवेदित वाहन का कर चुकता प्रमाण-पत्र, आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई देयकर शेष न होने का प्रमाण-पत्र।
2. आवेदक फर्म/संस्था है, तो पार्टनरशिप डीड अथवा अन्य मेमोरेण्डम सुनवाई के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. आपके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त स्थायी परमिट यदि परिवहन कार्यालयों में जमा किये गये हों, अथवा न किये गये हों, तो सम्बंधित परिवहन अधिकारियों से जारी किये गए प्रमाण-पत्र।

अतः आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से बिन्दु क्रमांक-01 से 03 तक की जानकारी, एवं आवेदित वाहन के समस्त वैध कागजात जैसे पंजीयन पुस्तिका, बीमा प्रमाण-पत्र, एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। अन्यथा प्रकरण में एकतरफा विचार कर निर्णय लिया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहायक सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार

छत्तीसगढ़-रायपुर 11/9/2017

पंजीकृत डाक से-

कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
इंद्रावती भवन, तृतीय तल, "सी" ब्लॉक, नया रायपुर, छ०ग०,

दूरभाष- 0771-2582088, 2582799

E-Mail ID - atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com, Web- www.cgtransport.org

क्रमांक- 30/5 /एसटीए/टीसी/17,

रायपुर, दिनांक- 0/-09-2017

पंजीकृत डाक से

प्रति,

श्री विजय कुमार गुप्ता,
आत्मज- स्व. बी.पी. गुप्ता,
प्रेम कुंज, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट,
तपकरा जिला-जशपुरनगर छ.ग.

विषय:- राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ की बैठक दिनांक-05.09.2017 को नियत सुनवाई की सूचना।

संदर्भ:- मा0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WP(C) क्रमांक 1790/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 एवं आपका ऑन-लाईन आवेदन-पत्र दिनांक-11.04.2017.

--0--

उक्त विषय में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन-पत्र नवीन स्थायी परमिट मार्ग-कोरबा से बोकारो एवं वापस एक एकल फेरा के लिये प्राप्त आवेदन पत्र की सुनवाई राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक 05.09.2017 को दोपहर 12.30 बजे, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर कक्ष-एस-1/3 में की जायेगी। सुनवाई हेतु नियत तिथि को परिवहन आयुक्त कार्यालय, सी ब्लॉक, 3 फ्लोर, इंद्रावती भवन, नया रायपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होंगे। सुनवाई के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आपके स्वामित्व में कितनी यात्री वाहन हैं, तथा आपके पास कितने वैध स्यारी एवं अस्थायी परमिट हैं। उसकी सूची, तथा धारा 86 का कोई प्रकरण लंबित न होने का प्रमाण-पत्र, आवेदित वाहन का कर चुकता प्रमाण-पत्र, आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई देयकर शेष न होने का प्रमाण-पत्र।
2. आवेदक फर्म/संस्था है, तो पार्टनरशिप डीड अथवा अन्य मेमोरेण्डम सुनवाई के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. आपके द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त स्यारी परमिट यदि परिवहन कार्यालयों में जमा किये गये हों, अथवा न किये गये हों, तो सम्बंधित परिवहन अधिकारियों से जारी किये गए प्रमाण-पत्र।

अतः आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से विन्दु क्रमांक-01 से 03 तक की जानकारी, एवं आवेदित वाहन के समस्त वैध कागजात जैसे पंजीयन पुस्तिका, बीमा प्रमाण-पत्र, एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। अन्यथा प्रकरण में एकतरफा विचार कर निर्णय लिया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहायक सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,

छत्तीसगढ़-रायपुर

11/9/2017

कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
इंद्रावती भवन, तृतीय तल, "सी" ब्लॉक, नया रायपुर, छ०ग०,

दूरभाष - 0771-2582088, 2582799

E-Mail ID - atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com, Web- www.cgtransport.org

क्रमांक- 30/6 /एसटीए/टीसी/17,
प्रति,

रायपुर, दिनांक-09/09-2017

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर, छ०ग०।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग/राजनांदगांव, छ०ग०।

जिला परिवहन अधिकारी,
दन्तेवाड़ा/कांकेर/कोण्डागांव/सुकमा/धमतरी/महासमुंद
बालोद/बेमेतरा/कबीरधाम/बलौदाबाजार/जांजगीर-चांपा
मुंगेली/रायगढ़/जशपुर/कोरिया/कोरबा/गरियाबंद, छ०ग०।

विषय:- राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ की बैठक दिनांक-05.09.2017 की सूचना बाबत।


---000---

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WP(C) क्रमांक 1789/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 एवं WP(C) क्रमांक 1790/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 में अंतर्राज्यीय मार्ग बोकारो से कोरबा पर नवीन स्थायी अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। एवं माननीय राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, छ०ग०, रायपुर द्वारा अपील क्रमांक 53/2017 एवं अपील क्रमांक 54/2017 पारित आदेश 19.07.2017 में अंतर्राज्यीय मार्ग सिवान से जशपुर पर नवीन स्थायी अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक-05.09.2017 को दोपहर 12.30 बजे, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर कक्ष-एस-1/3 में सुनवाई नियत की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु सुनवाई दिनांक-05.09.2017 कार्य-विवरण (एजेण्डा) की प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड में प्रकाशन करें।

संलग्न - सुनवाई दिनांक-05.09.2017 का कार्य-विवरण (एजेण्डा)।


सहायक सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार, 09/09/17
छत्तीसगढ़, रायपुर

मार्ग-कोरबा से बोकारो काया-पथलगांव, जशपुर, गुमला, राँची, परमिटों की संख्या-06, जारी परमिट-00, रिक्ति-06

3	11/04/2017	श्री बिजय कुमार गुप्ता, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट मेन रोड तपकरा जिला जशपुर छ.ग.	सीजी-14-जी/0236, बै0क्ष0-42 डीलक्स, मॉडल-2016	बोकारो से कोरबा एवं वापस नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु	एक एकल फेर	बोकारो	रामगढ़	राँची	गुमला	जशपुर
						14.15 प्र.	16.10/16.15	17.20/18.00	20.00/20.10	21.15/21.30
07.45 आ.	06.30/06.25	05.30/05.15	03.30/03.25	02.15/02.10						
कुनकुरी	पथलगांव	धरमजगढ़	खरसिया	कोरबा						
22.30/22.35	00.30/00.05	01.05/01.10	02.50/02.55	04.45 आ.						
01.10/01.05	23.35/23.30	22.40/22.35	21.25/21.20	19.30 प्र.						
4	11/04/2017	श्री विनय कुमार गुप्ता, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट मेन रोड तपकरा जिला जशपुर छ.ग.	सीजी-14-जी/0237, बै0क्ष0-42 डीलक्स, मॉडल-2016	बोकारो से कोरबा एवं वापस नवीन स्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु	एक एकल फेर	बोकारो	रामगढ़	राँची	गुमला	जशपुर
						14.15 प्र.	16.10/16.15	17.20/18.00	20.00/20.10	21.15/21.30
07.45 आ.	06.30/06.25	05.30/05.15	03.30/03.25	02.15/02.10						
कुनकुरी	पथलगांव	धरमजगढ़	खरसिया	कोरबा						
22.30/22.35	00.00/00.05	01.05/01.10	02.50/02.55	04.45 आ.						
01.10/01.05	23.35/23.30	22.40/22.35	21.25/21.20	19.30 प्र.						

नोट-आवेदक एवं आपत्तिकर्ता नियत तिथि को परिवहन आयुक्त कार्यालय, सी ब्लॉक, 3 फ्लोर, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होंगे।

सहायक सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

छत्तीसगढ़-रायपुर

9/1/2017